

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद
पत्रांक:-सीएफओ/एन/एचएलडी/A-46/190/2026-27

ईमेल-cfontl.ukfs@gmail.com

नैनीताल (हल्द्वानी)

दिनांक: मार्च 13, 2026

सेवा में,

OWNER/MANAGER,
D. A. V. PUBLIC SCHOOL
KUSUMKHERA, HALDWANI
DISTT-NAINITAL

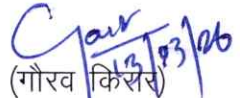
विषय : अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के Annual Clearance के सम्बन्ध में।

कृपया आपके आवेदन यूनिट नम्बर:-51136330 दिनांक: 12.03.2026 जो कि Uttarakhand Fire and Emergency Services के वेब पेज पर प्राप्त आवेदन D. A. V. PUBLIC SCHOOL KUSUMKHERA, HALDWANI जनपद-नैनीताल का अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण (सभी मापदण्ड यथा भवन निर्माण उपविधि उत्तराखण्ड शासन एवं नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया के मानकों के अनुसार) अग्निशमन अधिकारी फायर स्टेशन हल्द्वानी द्वारा किया गया, अग्निशमन अधिकारी हल्द्वानी की संस्तुति निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 13.03.2026 के अनुसार अग्निसुरक्षा व्यवस्था हेतु ए0बी0सी0 टाईप 04 किग्रा 15 अदद, सीओटू टाईप 4.5 किग्रा के 01 अदद, एएफएफएफ 09 लीटर क्षमता के 01 अदद, फायर एक्सटिंग्यूशर, होजरील मय फिटिंग्स 02 अदद, पम्प 3.5एचपी, 30 हजार लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक व 12 हजार लीटर क्षमता का ओवर हैड टैंक स्थापित किया गया है, अग्निशमन सुरक्षा दृष्टिकोण से शैक्षिक भवन उपयुक्त पाया गया व अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में पाये गये। अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था अग्निजोखिम के अनुरूप संतोषजनक पायी गयी।

निर्देशित किया जाता है कि विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने पर तदनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था करनी होगी। प्रत्येक 03 वर्ष से पूर्व इस कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रों का परीक्षण कराकर नियमानुसार (10 रुपये प्रति फायर एक्सटिंग्यूशर की दर से) टेस्टिंग शुल्क फायर सर्विस हैड-0070 अन्य प्रशासनिक सेवायें 60 अन्य सेवायें, 109 अग्नि से संरक्षण एवं नियन्त्रण के अन्तर्गत जमा कराया जायेगा, इसके अतिरिक्त प्रत्येक 06 माह में भवन अथवा परिसर में अग्निसुरक्षा व्यवस्था एवं उपकरणों की स्थिति संतोषजनक एवं कार्यशील होने का स्व: घोषित प्रमाण पत्र प्रस्तुत/अपलोड करना होगा तथा सदैव मानकों के अनुरूप अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

अतः अग्निशमन अधिकारी हल्द्वानी की संस्तुति आख्या के आधार पर D. A. V. PUBLIC SCHOOL KUSUMKHERA, HALDWANI जनपद-नैनीताल का प्राथमिक अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र (ब्लॉक की संख्या 01, तलों की संख्या 03 जिसमें 40 कमरे हेतु) दिनांक: 13 मार्च 2026 से 12 मार्च 2029 तक इस आधार पर प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तों का पालन किया जाये:-

1. सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सीढ़ियां व सैट बैक प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाय।
2. आपके शैक्षिक भवन के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया का ज्ञान होना आवश्यक होगा।
3. सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाए कि अग्निकाण्ड की घटना नहीं हो सकती है, तथा No smoking zone अतः प्रबन्धन को अग्निनिरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
4. शैक्षिक भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वेंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया वनिर्माण, Land Use Change में बदलाव one आदि का सत्यापन सम्बन्धित प्राधिकारी से कराया जाना आवश्यक होगा।
5. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए नहीं किया जा सकता।
6. शैक्षिक भवन/संस्थान में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित मानकों/एन.बी.सी 2016 के भाग 04 की गाईड लाईन के अनुसार सदैव अद्यतन (Update) स्थिति में रखा जाना जीव रक्षा एवं राष्ट्रीय सम्पत्ति की सुरक्षा के हित में आवश्यक है।
7. शैक्षिक भवन का प्रयोग अन्य किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि हेतु प्रयोग में नहीं लाया जायेगा।


(गौरव किशोर)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
नैनीताल(हल्द्वानी)